## PRESS RELEASE

## **BIS** raid at Self Adhesive Electrical Insulation Tapes Manufacturing Unit

Bureau of Indian Standards (BIS), Delhi Branch Office-I conducted an enforcement raid at the premises of M/s. REFLEX INDUSTRIES, O-49, Sector-3, Bawana Industrial Area, Delhi-39 on 05.07.2018. The above mentioned unit without having a valid BIS licence was manufacturing Self Adhesive Electrical Insulation PVC tapes under brand names "BSF" with CM/L- 8100022788, (a manufacturing unit of Mumbai) and "Hans" with CM/L- 8545596, (mfd by Krishna Industries, B-238, Sector-4, DSIIDC, Bawana Industrial Area, Delhi-39) as per IS 7809: (Part 3/Sec 1): 1986 violating Section 17 (3) of BIS Act 2016 which is a punishable offence.

A huge quantity of Self Adhesive electrical insulation PVC tapes was seized at the unit.

## प्रैस रिलीज़

## <u>भारतीय मानक ब्यूरो ने सेल्फ एडहेसिव इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पीवीसी टेप्स की निर्माता इकाई पर</u> छापा मारा

भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो) दिल्ली शाखा कार्यालय -1 ने 05 जुलाई 2018 को मैसर्स रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़, ओ-49, सैक्टर-3, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110039 स्थित परिसर पर प्रवर्तन रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़, ओ-49, सैक्टर-3, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110039 स्थित परिसर पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई भामाब्यूरो के वैध लाइसेंस के बिना आई एस 7809: (भाग 3/ खण्ड 1): 1986 के अनुसार " बीएसएफ" ब्रांड से सीएम/एल- 8100022788 के साथ (मुम्बई की एक उत्पादक इकाई) तथा " हंस" ब्रांड से सीएम/एल- 8545596 के साथ (निर्माता इकाई : कृष्णा इंडस्ट्रीज़, बी-238, सैक्टर-4, डीएसआईआईडीएस, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110039) सेल्फ एडहेसिव इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पीवीसी टेप्स का निर्माण कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17 (3) का उल्लंघन है जोकि एक दंडनीय अपराध है।

उपरोक्त छापे के दौरान, टीम ने इकाई से भारी मात्रा में सेल्फ एडहेसिव इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पीवीसी टेप्स ज़ब्त किये।

Scanned by CamScanner